

प्रेस नोट –  
थाना सकरार, झाँसी

दिनांक: 08-09-25

➤ झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,

➤ 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही सख्त कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 08.09.2025 को थाना सकरार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता गुड्डी देवी पत्नी राममिलन निवासी ग्राम रतौसा थाना उल्दन जनपद झाँसी उम्र 46 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियुक्ता के विरुद्ध मु0अ0सं0 -135/25 धारा - 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुये विधिक कार्यवाही की गई।

पंजीकृत अभियोग का विवरण – मु0अ0सं0-135/25 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम

नाम व पता अभियुक्ता - गुड्डी देवी पत्नी राममिलन निवासी ग्राम रतौसा थाना उल्दन जनपद झाँसी उम्र 46 वर्ष

बरामदगी – 20 ली0 अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी का स्थान- सिद्धन खिरक जाने वाले रास्ता पर थाना सकरार जनपद झाँसी

र्यवाही करने वाली टीम के अधि0/कर्म गण का नाम-

- 1 – श्री अमीराम सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना सकरार जनपद झाँसी
- 2 – उ0नि0 श्री अर्पित त्यागी, थाना सकरार जनपद झाँसी
- 3- का0 1852 रवि कुमार, थाना सकरार जनपद झाँसी
- 4 – म0का0 1616 ममता दिवाकर, थाना सकरार जनपद झाँसी